“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”

पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 181] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 31 मार्च 2020 — चैत्र 11, शक 1942

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, गुरूवार, दिनाक 26 मार्च, 2020 (चैत्र 6, 1942)

क्रमाक–5037/वि.स./विधान/2019. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य सचालन सबधी नियमावली के नियम 64 के उपबधो के पालन मे छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि सपरीक्षा (सशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमाक 4 सन् 2020) जो गुरूवार, दिनाक 26 मार्च, 2020 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

हस्ता./–

(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्र 4 सन् 2020)

छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2020

छत्तीसगढ स्थानीय निधि सपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्र 43 सन् 1973) मे और सशोधन करने हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवे वर्ष मे छत्तीसगढ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप्र मे यह अधिनियमित हो –

सक्षिप्त नाम, विस्तार एव प्रारभ;

1 (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ स्थानीय निधि सपरीक्षा (सशोधन) अधिनियम, 2020 कहलायेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ राज्य मे होगा ।

(3) ये राजपत्र मे इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

मूल अधिनियम का सशोधन

2 छत्तीसगढ स्थानीय निधि सपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्र 43 सन् 1973)(जो इसमे इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रुप मे निर्दिष्ट है) मे,–

(एक) धारा 1 मे, उप–धारा (1) "सक्षिप्त नाम" के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् –

"(1) यह अधिनियम छत्तीसगढ राज्य सपरीक्षा अधिनियम, 1973 कहलायेगा।"

(दो) शब्द "स्थानीय निधि सपरीक्षा" जहॉ कही भी आया हो के स्थान पर, शब्द "राज्य सपरीक्षा" प्रतिस्थापित किया जाए।

धारा 2 का सशोधन

3 मूल अधिनियम मे, धारा 2 मे,–

(एक) खण्ड (क) मे, शब्द तथा चिन्ह "विस्तृत सपरीक्षा" के पश्चात् शब्द तथा चिन्ह "नमूना सपरीक्षा, पूर्व सपरीक्षा, समवर्ती सपरीक्षा, पश्चातवर्ती सपरीक्षा, फोरेसिक सपरीक्षा, वित्तीय सपरीक्षा, अनुपालन सपरीक्षा, जोखिम आधारित सपरीक्षा, निष्पादन सपरीक्षा" अत स्थापित किया जाए; तथा

(दो) खण्ड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित जोडा जाये, अर्थात्–

"(ट) "नमूना सपरीक्षा" से अभिप्रेत है चयनित माह/अवधि के लेखो और/या वित्तीय सव्यवहार और/या किसी योजना की सपरीक्षा;

(ठ) "पूर्व सपरीक्षा" से अभिप्रेत है किसी निधि मे से सदाय, आहरण या समायोजन के पूर्व की जाने वाली सपरीक्षा;

(ड) "समवर्ती सपरीक्षा" से अभिप्रेत है किसी निधि मे से सदाय, आहरण या समायोजन करने के, या तो साथ ही साथ या उसके तुरन्त पश्चात् स्थल पर की जाने वाली सपरीक्षा;

(ढ) "पश्चातवर्ती सपरीक्षा" से अभिप्रेत है किसी निधि मे से सदाय, आहरण या समायोजन के पश्चात् की जाने वाली सपरीक्षा, जो समवर्ती सपरीक्षा न हो, किंतु इसमे विस्तृत सपरीक्षा एव नमूना सपरीक्षा सम्मिलित है;

(ण) "फोरेसिक सपरीक्षा" से अभिप्रेत है किसी फर्म या प्राधिकारी या व्यक्ति के वित्तीय अभिलेखो का ऐसा परीक्षण एव मूल्याकन, जिसे साक्ष्य के रूप्र मे किसी न्यायालय अथवा विधिक कार्यवाही मे प्रयोग किया जा सके;

(त) "वित्तीय सपरीक्षा" से अभिप्रेत है किसी प्राधिकारी के वित्तीय प्रतिवेदनो एव वित्तीय प्रतिवेदन प्रकियाओ का स्वतत्र एव वस्तुनिष्ठ मूल्याकन;

(थ) "अनुपालन सपरीक्षा" से अभिप्रेत है किसी प्राधिकारी के लिये विहित नियमो एव विनियमो के अनुपालन पर केंद्रित विस्तृत पुनर्विलोकन की प्रकिया;

(द) "जोखिम आधारित सपरीक्षा" से अभिप्रेत है सपरीक्षा की ऐसी शैली, जो किसी सस्थान की वित्तीय अनियमितताओ के होने की जोखिम के विश्लेषण एव प्रबधन पर केन्द्रित हो;

(ध) "निष्पादन सपरीक्षा से अभिप्रेत है किसी निकाय के कार्यक्रम, किया, सचालन, प्रबधन प्रणालियो और प्रक्रियाओ की उपलब्ध ससाधनो के मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावशीलता से लक्ष्य प्राप्ति का आकलन।

(न) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस अधिनियम से सलग्न अनुसूचिया;

(प) "अधिभार" से अभिप्रेत है किसी धन या अन्य सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय, दुरूपयोजन या दुर्विनियोजन की वह राशि, जिसके लिये सचालक किसी व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराता हो कि उसके किसी अपचार या घोर उपेक्षा के कारण हानि कारित हुई है;

(फ) "लेखे" से अभिप्रेत है किसी पाधिकारी के वित्तीय सव्यवहार एव सभी सबधित अभिलेख।"

4 मूल अधिनियम मे, धारा 7 मे,– धारा 7 का सशोधन

(1) उप–धारा (1) मे शब्द "पाच सौ रूपये" के स्थान पर, शब्द "पच्चीस हजार रूपये" प्रतिस्थापित किया जाए; और

(2) उप–धारा (3) मे, शब्द "ऐसी मजूरी क्यो न दे दी जाये" के पूर्व तथा शब्द "वह यह हेतुक दर्शाये कि" के पश्चात् शब्द "तीस दिवस के भीतर" अन्तस्थापित किया जाये।

5 मूल अधिनियम मे, धारा 8–क की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् – धारा 8–क का सशोधन

"(1) "उक्त अधिनियम की धारा – 4(1) एव धारा 21(3) की अनुसूचियो मे निर्दिष्ट निकायो के लेखो की सपरीक्षा के सबध मे सचालक, राज्य सपरीक्षा का वार्षिक पतिवेदन राज्य सरकार (वित्त विभाग) को प्रस्तुत किया जाएगा"

उद्देश्य एवं कारणों का अभिकथन

स्थानीय निधि सपरीक्षा का मूल अधिनियम वर्ष 1973 का है। विगत वर्षो मे सपरीक्षा के मापदण्डो, प्रविधियो एव कार्यप्रणालियो मे वृहद विकास हुआ है। वर्तमान अधिनियम को नवीन विकसित परिस्थितियो मे कार्य सपादन करने के योग्य बनाना, नवीनतम प्रविधियो का समावेश किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

स्थानीय निकायो को सवैधानिकता प्रदान किए जाने के फलस्वरूप जहा एक ओर इन निकायो के दायित्वो मे वृद्धि हुई है, वही इनके बजट मे भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। स्थानीय स्वायत्तशासी निकायो के माध्यम से लोक निधि के उद्देश्यो के अनुरूप व्यय को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि इनकी सपरीक्षा की व्यवस्था मे प्रक्रियागत विकास किया जावे।

वर्तमान मे स्थानीय निधि सपरीक्षा विभाग द्वारा न केवल स्थानीय निकायो की सपरीक्षा कार्य किया जा रहा है, अपितु अनेक स्वायत्तशासी निकायो एव अन्य निधियो की भी सपरीक्षा कार्य सपादित किया जा रहा है। इन परिस्थितियो मे इस अधिनियम के नाम मे वर्तमान परिस्थितियो के अनुरूप सशोधन किया जाना भी आवश्यक है।

इस प्रकार स्थानीय निधि सपरीक्षा के कार्यात्मक सुगमता, सपरीक्षा की नवीन तकनीको के प्रयोग से विभागीय दक्षता मे वृद्धि तथा राज्य की समस्त सपरीक्षाधीन निगमित एव अनिगमित निकायो के वैधानिक सपरीक्षा सपादन की आवश्यकता के आधार पर छत्तीसगढ स्थानीय निधि सपरीक्षा अधिनियम, 1973 (कमाक 43 सन् 1973) मे सशोधन की आवश्यकता है

2 अत यह विधेयक प्रस्तुत है

रायपुर
दिनाक– 24–03–2020

भूपेश बघेल
मुख्यमत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ स्थानीय निधि सपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्र 43 सन् 1973) सशोधन विधेयक, 2020 का सुसगत उद्धरण –

धारा 1 सक्षिप्त नाम – (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ स्थानीय निधि सपरीक्षा अधिनियम, 1973 कहलायेगा।

धारा 2 परिभाषाये –(1) इस अधिनियम मे, जब तक कि सदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''सपरीक्षा'' के अन्तर्गत आते है विस्तृत सपरीक्षा, विशेष सपरीक्षा, स्थानिक सपरीक्षा (Resident Audit) तथा ऐसी अन्य सपरीक्षा जिसे कि राज्य सरकार समय–समय पर विनिर्दिष्ट करे;

(ख) ''सपरीक्षक'' से अभिप्रेत है, सचालक तथा उसके अन्तर्गत वे समस्त अन्य अधिकारी आते है जो धारा 3 के अधीन इस प्रयोजन से नियुक्त किये गये हो कि वे उसकी सहायता करेगे;

(ग) ''विस्तृत सपरीक्षा'' से अभिप्रेत है, सपूर्ण वर्ष के लेखाओ की सपरीक्षा;

(घ) ''सचालक'' से अभिप्रेत है, धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया सचालक, स्थानीय निधि सपरीक्षा तथा उसके अन्तर्गत कोई ऐसा अधिकारी आता है, जिसे उक्त धारा की उपधारा (4) के अधीन सचालक की शक्तिया प्रदत्त की गई हो;

(ङ) ''स्थानीय प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, कोई नगरपालिका निगम, नगरपालिका परिषद्, नगर पचायत, नगर सुधार न्यास, ग्राम पचायत, जनपद पचायत, जिला पचायत, कृषि उपज–मडी समिति या कोई अन्य प्राधिकारी जो किसी नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियत्रण या प्रबध का वैध रूप से हकदार हो, या जिसे ऐसा नियत्रण या प्रबध राज्य सरकार द्वारा सौपा गया हो;

(च) ''स्थानीय निधि'' से अभिप्रेत है, कोई ऐसी निधि जिसके नियत्रण तथा प्रबन्ध के लिये कोई स्थानीय प्राधिकारी वैध रूप से हकदार हो और उसके अन्तर्गत किसी ऐसे उपकर रेट, शुल्क या कर जिन्हे अधिरोपित करने के लिये ऐसा प्राधिकारी वैध रूप से हकदार हो, के आगम तथा ऐसे प्राधिकारी मे निहित कोई सपत्ति आती है/आते है;

(छ) ''प्रधान अधिकारी'' से अभिप्रेत है –

- (एक) नगरपालिक निगम के मामले मे, नगरपालिक आयुक्त;
- (दो) नगरपालिका परिषद् के मामले मे, अध्यक्ष;
- (तीन) नगर सुधार न्यास के मामले मे, सभापति;
- (तीन–क) नगर पचायत के मामले मे, अध्यक्ष;
- (चार) ग्राम पचायत के मामले मे, सरपच;
- (पाच) जनपद पचायत के मामले मे, अध्यक्ष;
- (छ) जिला पचायत के मामले मे, अध्यक्ष;
- (सात) कृषि उपज मडी समिति के मामले मे, अध्यक्ष;और
- (आठ) किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी के मामले मे, उसका ऐसा पदाधिकारी या अधिकारी जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस सबध मे विनिर्दिष्ट करे;

(ज) ''विशेष सपरीक्षा'' से अभिप्रेत है, किसी विनिर्दिष्ट मद या मदो के कमिक समूह से सबधित ऐसे लेखाओ की, जिनकी कि पूर्ण परीक्षा की जाना अपेक्षित है, सपरीक्षा;

(झ) ''स्थानीक सपरीक्षा'' से अभिप्रेत है, व्यय की सवर्ती या पूर्व सपरीक्षा तथा प्राप्तिओ का पुनर्विलोकन;

(ञ) 'वार्षिक प्रतिवेदन' से अभिप्रेत है, उक्त अधिनियम की धारा – 9 मे यथा निर्दिष्ट सचालक, स्थानीय निधि सपरीक्षा द्वारा तैयार किये गये सपरीक्षा प्रतिवेदन की विषयवस्तु का समेकित प्रतिवेदन;

धारा 7 अवज्ञा के लिए शास्ति –(1) कोई भी व्यक्ति, जो धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन उसमे विधि पूर्वक की गई किसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करने मे जानबूझकर उपेक्षा करेगा या उस अध्यपेक्षा का अनुपालन करने से जानबूझकर इकार करेगा किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिध्दि पर ऐसे जुर्माने के दायित्वाधीन होगा जो पाच सौ रूपये तक का हो सकेगा

(2) इस धारा के अधीन कोई भी कार्यवाही सचालक की लिखित मजूरी के बिना सस्थित नही की जायगी

(3) उपधारा (2) के अधीन ऐसी मजूरी देने के पूर्व, सचालक उस व्यक्ति से, जिसके विरूध्द कार्यवाही सस्थित की जाना है, यह अपेक्षा करेगा कि वह यह हेतुक दर्शाये कि ऐसी मजूरी क्यो न दे दी जाय

धारा 8–क (1) सपरीक्षा रिपोर्ट –(1) उक्त अधिनियम की धारा – 4(1) की अनुसूची मे निर्दिष्ट निम्नलिखित स्थानीय निकायो –

1 समस्त नगर पालिक निगमो,

2 समस्त नगर पालिका परिषदो,

3 समस्त नगर पचायतो,

4 समस्त जिला पचायतो,

5 समस्त जनपद पचायतो,

6 समस्त ग्राम पचायतो,

के लेखो की सपरीक्षा के सबध मे सचालक, स्थानीय निधि सपरीक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार (वित्त विभाग) को प्रस्तुत किया जाएगा

चन्द्र शेखर गगराडे
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ विधान सभा

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2020